

खबर संक्षेप

दिव्यांग बच्चों की पहचान, स्वीनिंग एवं प्रमाणान हेतु आयोजित होंगे विशेष कैप

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है कि जिले में दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान एवं त्वरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिनमे ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष है उनके आकलन पश्चात जिले के विभिन्न विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाये जाएंगे। जारी पत्र के अनुसार 29 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर सोहागपुर, 30 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहराफू, 1 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार, 2 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर, 3 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहनगर एवं 4 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्यौहारी को विशेष कैप आयोजित किये जाएंगे।

बुढ़ार में गूंजा हिंदू सुरक्षा और सम्मान का नारा

बुढ़ार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के अष्टम स्थापना दिवस के मौके पर बुढ़ार नगर पूरी तरह भगवामय नजर आया। इस खास अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुढ़ार रेलवे स्टेशन सहित नगर के विभिन्न प्रमुख और व्यस्ततम चौराहों पर सघन प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रसाद वितरण के साथ ही परिषद के जांबाज कार्यकर्ताओं ने आमजन के बीच पहुंचकर संगठन के मूल मंत्र—सेवा, सुरक्षा एवं संस्कार के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महाकौशल प्रांताधिकारी मेहुल श्रीवास्तव का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विक्की पटेल, जिला महामंत्री आशीष साहू, जिला महामंत्री शिवम तिवारी और जिला संरक्षक सदस्य उत्कर्ष समेत भारी संख्या में युवाओं की टोली मौजूद रही। मंच से हुंकार भरते हुए वक्ताओं ने संगठन के फायरब्रांड संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगडिआ के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू समाज की सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और इसके लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। कार्यक्रम का समापन हिंदू सुरक्षा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान - यही हमारी पहचान और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ हुआ, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महाकौशल प्रांताधिकारी मेहुल श्रीवास्तव का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विक्की पटेल, जिला महामंत्री आशीष साहू, जिला महामंत्री शिवम तिवारी और जिला संरक्षक सदस्य उत्कर्ष समेत भारी संख्या में युवाओं की टोली मौजूद रही। मंच से हुंकार भरते हुए वक्ताओं ने संगठन के फायरब्रांड संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगडिआ के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू समाज की सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और इसके लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। कार्यक्रम का समापन हिंदू सुरक्षा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान - यही हमारी पहचान और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ हुआ, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा।

रफ्तार का कहर: मासूम की सांसों पर संकट



देवदूत ने बचाई सुदूर गांव के लाडले की जान

शहडोल। बेकाबू रफ्तार ने न सिर्फ पांच साल के मासूम को लहलुहान कर आईसीयू के बिस्तर पर धकेल दिया, बल्कि एक गरीब मां की गोद सूनी करने की भी पूरी साजिश रच दी थी। नानी के आंगन में चहकने आया मासूम जनार्दन आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यह कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं है, बल्कि एक लाचार परिवार के आंसुओं, महंगे इलाज की लाचारी और उस इंसानियत की है जिसने इस बुझते चिराग को अपनी रगों का खून देकर फिर से रोशन कर दिया।

नानी के घर आई खुशियां बिखरीं

सीधी जिले के सुदूर ग्रामीण अंचल पहडिया में रहने वाले बुजुर्ग श्यामसुंदर भूति्या के घर

खुशियों का माहौल था। मुंबई में मजदूरी करने वाले दामाद का 5 वर्षीय बेटा जनार्दन अपनी मां अंजना के साथ नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। मुंबई के स्कूल में पढ़ने वाला यह मासूम अपनी तोतली आवाज से पूरे घर में चहक रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, चंद दिनों का यह ननिहाल का सफर एक कभी न भूलने वाले खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया।

मां का रो-रोकर बुरा हाल

बीती 18 जून की सुबह जब मासूम जनार्दन घर के सामने बेफिक्र होकर खेल रहा था, तभी ब्यौहारी रोड की तरफ से यमदूत बनकर आए एक तेज रफ्तार ट्रक (ग्र 01 रज 2595) ने उसे बेरहमी से कुचल दिया और चालक वाहन लेकर भाग निकला। चीख-पुकार के बीच जब मां अंजना दौड़कर बाहर आई, तो कलेज के टुकड़े को खून से लथपथ तड़पता देख उसकी



लाचारी और महंगे इलाज का दंश

सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का यह बेहद गरीब परिवार अब शहडोल के आदित्य हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर दाने-दाने को मोहताज है। मुंबई में दिन-रात पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी कमाने वाले पिता के पास इतने महंगे इलाज के पैसे नहीं हैं। अस्पताल के भारी-भरकम खर्च और आईसीयू के डर ने परिवार

को भीतर से तोड़ दिया है। जो मां-बाप कल तक अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रहे थे, आज वे अस्पताल के गलियारे में बिलख रहे हैं।

जब देवदूत बनकर आए रक्तदाता

मासूम के शरीर से इतना खून बह चुका था कि डॉक्टरों को लगातार रक्त चढ़ाना पड़ रहा था। बेबस पिता ने खून दिया, फिर मामा ने अपनी रगों का लहू निकाला। रक्त दाता नहीं बनी, तो तंगी से जुझते परिवार ने पाई-पाई जोड़कर 24500 में महज 150 द्रव खून खरीदा। इस बीच जब सोशल मीडिया पर मासूम की जिंदगी के लिए ₹+ ब्लड की मार्मिक गुहार लगी, तो धनपुरी निवासी विष्णुकान्त शुक्ला की इंसानियत जाग उठी। वे जिला अस्पताल पहुंचे और निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया, जिससे मासूम को नई जिंदगी मिली।

पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

इस खौफनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि दुर्घटना कारित कर भागने वाले निर्दयी चालक पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इधर, मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा नियमानुसार सामान्य व त्वरित कार्रवाई करते हुए बीती 23 जून को ही न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया। हालांकि, कानूनी दांव-पेंच और वर्तमान व्यवस्था के तहत वाहन और चालक दोनों को जमानत मिल गई, जिससे इस लाचार परिवार का दर्द और बढ़ गया है।



नवीन शैक्षणिक सत्र की तैयारियों एवं शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन को लेकर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित

शहडोल। शिक्षा विभाग की कोर ग्रुप की बैठक मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों तथा विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिये की विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनानेए नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी संचालनए नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा विद्यालयों में अनुकूल शिक्षण वातावरण विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि शालाओं में शिक्षक नियत समय पर उपस्थित होकर अध्यापन सम्पन्न कराये, शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये भी तैयार किया जाये। साथ ही नवीन सत्र के लिए कार्ययोजना तैयार करते हुए विभिन्न गतिविधियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। उन्होंने सतप्रतिशत विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तको का वितरण करने, कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हे अलग से कक्षाये आयोजित कर विषयो का अध्ययन कराया जाये। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों ने शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन के लिए समन्वित प्रयास करने तथा निर्धारित कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकासए सीखने के परिणामों में सुधार तथा विद्यालयों में

परामर्श, उपचार एवं सहयोग प्रदान किया जाए तो व्यक्ति को नशे की लत से मुक्त कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नशे की समस्या व्यक्ति, परिवार एवं समाज तीनों को प्रभावित करती है। इसके प्रति जागरूकता, संवेदशीलता एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही नशामुक्त समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान

प्रतिभागियों को नशे की पहचान, रोकथाम, परामर्श, पुनर्वास तथा जनजागरूकता गतिविधियों के संचालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रशिक्षण के माध्यम से जिले में नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम मां स्कूलो के प्राचार्य, शिक्षक,बाल संरक्षण समिति की अध्यक्ष श्रीमती कल्याणी बाजोपेई, जनअभियान परिषद से जुडी नवांकुर समितियों के सदस्य तथा सामाजिक कार्य कर्ताओं ने भाग लिया।



प्रयास किया था। उस धांधली की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ग्रीन ढाबा के इस नए घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि कंपनी क्षेत्र में विकास के नाम पर नहीं, बल्कि केवल और केवल साम-दाम-दंड-भेद के दम पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। स्थानीय स्तर पर जब इस कथित मैनेजमेंट और गुप्त सौदेबाजी की सच्चाई जानने के लिए बजरंग पावर के जनरल मैनेजर (जीएम) से संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी का रवैया बेहद संदिग्ध रहा। मीडिया का फोन देखते ही साहब ने आनन-फानन में कॉल काट दिया और उसके बाद संपर्क से बाहर हो गए। जीएम साहब का इस तरह सवालों से मुंह चुराना और भाग खड़ा होना, कहीं न कहीं इन आरोपों में सचला पर खुद ही मुहर लगाता है। अगर दाल में कुछ काला नहीं था, तो कंपनी अपना आधिकारिक पक्ष रखने से कतरा क्यों रही है। घुनघुटी की जागरूक जनता का साफ कहना है कि यदि बजरंग पावर की कोयला परियोजना वास्तव में क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए इतनी ही हितकारी है, तो कंपनी को बंद कमरों और ढाबों में छिपकर मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कंपनी तथ्यों के आधार पर, खुले मंच पर आकर जनता का दिल क्यों नहीं जीतती? इस पूरे धिनीने खेल ने घुनघुटी क्षेत्र को दो धड़ों में बांट दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जिले के मुखिया और प्रशासनिक अमले पर खड़ा होता है कि क्या वे इस ढाबा मैनेजमेंट और जनसुनवाई के दौरान भी कंपनी पर आरोप लगे थे कि उसने डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर और भारी लोगों को बिठाकर फर्जी तरीके से सहमति हासिल करने का



बारिश में बस्तियां डूबीं या फैली संक्रामक बीमारी, तो नपेंगे जिम्मेदार अधिकारी

शहडोल में दिशा की बैठक या सुस्त अफसरों की क्लास?

सांसद हिमाद्री सिंह ने दिखाया रौद रूप

शहडोल। जिला मुख्यालय के कलेक्टर कार्यालय स्थित विराट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक इस बार केवल औपचारिक चाय-नाश्ते और कागजी आंकड़ों की बाजीगरी तक सीमित नहीं रही। सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को कछुआ गति से चलाने वाले सुस्त अफसरों को तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा। सांसद ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी बजट को ठिकाने लगाने और निर्माण कार्यों में लेट-लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हक के पैसे का मखौल उड़ाने वाले अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें, वरना उन पर सीधी और कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय है।

खोदी गई सड़कों पर भडक्री सांसद

बैठक में सबसे ज्यादा गाज जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के ठेकेदारों और जिम्मेदार इंजीनियरों पर गिरी। पूरे जिले को खोदकर लावारिस छोड़ देने की शिकायतों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सांसद हिमाद्री सिंह ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों का सीना चीरा गया है, वहां शीघ्रता से सड़क मरम्मत का काम पूर्ण किया जाए। आधी-अधूरी और ठप पड़ी नल-जल योजनाओं के व्यवस्थित संचालन को लेकर उन्होंने पीएचई विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनता को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाने और सड़कों को गड्ढों में तब्दील करने का यह खेल अब और नहीं चलेंगा।

अस्पतालों में डॉक्टर तैनात करो

मानसून की दस्तक के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने वाली



संक्रामक बीमारियों की आहत पर सांसद ने स्वास्थ्य विभाग के ढेर पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमएचओ को कड़े लहजे में हिदायत दी कि वर्षा काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और जीवन रक्षक दवाओं की चौबीस घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सांसद ने विशेष रूप से जैतपुर, झींकबजुरी और केशवाही में नवपदस्थ चिकित्सकों की तत्काल पदस्थापना करने के आदेश जारी किए, ताकि दूरदराज के आदिवासियों और ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल न भटकना पड़े।

हटाओ अतिक्रमण, नहीं तो बस्तियों में भरेगा पानी

नगरीय निकायों की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर भी बैठक में तीखी बहस हुई। सांसद ने वर्षा काल को देखते हुए सभी निकायों के अध्यक्षों और सीएमओ को निर्देश दिए कि बस्तियों में

जलभराव रोकने के लिए नालों की युद्धस्तर पर सफाई कराई जाए। नदी और नालों पर रसूखदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत जमींदोज करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही के कारण किसी गरीब की झोपड़ी या बस्ती में पानी भरा, तो संबंधित अधिकारी की खेर नहीं होगी।

वाश ऑन व्हील की थपथपाई पीट

एक ओर जहां सांसद का रुख लापरवाह अफसरों के प्रति बेहद आक्रामक रहा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने वाश ऑन व्हील कार्यक्रम की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इन्ोवेटिव कार्यक्रमों से जहां स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्वच्छता को भी नई मजबूती मिलेगी। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय विधायकों जैतपुर विधायक जयसिंह मरावी, जयसिंहनगर विधायक श्रीमती मनीषा

नशा मुक्ति अभियान के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण सम्पन्न

शहडोल। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर के विराट सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त विकास आयुक्त एम.पी.सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विभिन्न स्तरों पर

ज न जा ग रू क ता गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल्मी भोपाल से आये मास्टर ट्रेनर अतुल कुमार रायजादा ने नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नशा नाश का कारण बनता है। नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक बीमारी है। यदि समय रहते उचित



शैक्षणिक अनुशासन को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बोईओ गोहराफू ललित पाण्डेय, बोईओ बुढ़ार बी.के. निगम विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

जनसुनवाई का ढोंग पहले ही हो चुका है बेनकाब!

प्रलोभनों का जाल, सवालों के घेरे में कंपनी की पारदर्शिता

उमरिया। जिले के घुनघुटी क्षेत्र में कोयला खनन (कोल ब्लॉक) परियोजनाओं को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठी निजी कंपनियों और ग्रामीणों के बीच का संघर्ष अब एक नए और बेहद शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में हुई विवादित जनसुनवाई के बाद अब बजरंग पावर कंपनी पर ग्रामीणों को प्रलोभन देकर साधने और उनकी आवाज को नोटों के दम पर दबाने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। सोमवार देश राम घुनघुटी के एक स्थानीय ग्रीन ढाबा में कंपनी प्रबंधन और कुछ चुनिंदा ग्रामीणों के बीच हुई गुप्त बैठक और कथित मैनेजमेंट की खबरों ने पूरे क्षेत्र के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। स्थानीय सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, सोमवार की रात घुनघुटी स्थित ग्रीन ढाबा आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि एक खास डील के लिए रिजर्व था। आरोप है कि यहाँ बजरंग पावर प्रबंधन के ऊंचे ओहदों पर बैठे कारिंदों ने क्षेत्र के कुछ रसूखदार ग्रामीणों और बिचौलियों के साथ बंद कमरे में मैराथन बैठक की। इस गुप्त मुलाकात का एकमात्र मकसद था कि कंपनी के खिलाफ उठ रही जन-आक्रोश की आवाज को कुचलना। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस दौरान कंपनी के पक्ष में माहौल बनाने और विरोध प्रदर्शनों की हवा निकालने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को मोटी आर्थिक सहायता (कैश) और अन्य सुख-सुविधाओं का भारी-भरकम प्रलोभन दिया गया। हालांकि इस आर्थिक लेन-देन की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह कोई पहला मौका नहीं है जब बजरंग पावर पर इस तरह के अनैतिक हथकंडे अपनाने के आरोप लगे हों। इसके पहले जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुई जनसुनवाई के दौरान भी कंपनी पर आरोप लगे थे कि उसने डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर और भारी लोगों को बिठाकर फर्जी तरीके से सहमति हासिल करने का

खबर संक्षेप

पुलिस ने रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, चालक और वाहन स्वामी पर मामला दर्ज

बुढार। जिले में अवैध उत्खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत केशवाही थाना पुलिस ने एक प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रेत परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी चालक सहित वाहन स्वामी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी

जानकारी के अनुसार, दिनांक 23 जून 2026 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ट्रैक्टर अवैध रेत लोड कर ग्राम हरी की ओर से केशवाही की तरफ जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने केशवाही स्थित मस्जिद चौराहा के पास घेराबंदी की और उक्त ट्रैक्टर को रोककर जांच की।

जांच में खुली पोल, नदी से चुराई जा रही थी रेत

जांच के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली में भारी मात्रा में अवैध रेत लोड पाई गई। पुलिस द्वारा पृष्ठताछ करने पर चालक ने अपना नाम सुरेश सिंह पाव (पिता कमोल सिंह पाव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम सकरा, चौकी केशवाही) बताया।चालक ने पृष्ठताछ में खुलासा किया कि वह वाहन स्वामी वीरेंद्र प्रताप सिंह (पिता केशरी सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम केशवाही) के कहने पर हरी नदी से रेत लोड कर बिक्री के लिए केशवाही ला रहा था।

BNS और खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज

रेत के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को विधिवत जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा खनिज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर मामले को विवेचना में ले लिया है। उक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक विनय सिंह गहरवार के निर्देशन में उपनिरीक्षक गंगा सिंह मार्को एवं आरक्षक गणेश सिंह द्वारा की गई, जिसमें उनकी सराहनीय भूमिका रही।

हमारे शिक्षक ऐप से 1 जुलाई से अनिवार्य होगी ऑनलाइन उपस्थिति

कटनी। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े सभी शासकीय कर्मचारियों को “हमारे शिक्षक” प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। मग्न के लोक शिक्षण संचालनालय जारी आदेश के अनुसार इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शासकीय अमले को नियमित रूप से डिजिटल माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि “हमारे शिक्षक” प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त शासकीय लोकसेवकों पर लागू होंगे।

कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का हुआ निराकरण

रेलवे मजदूर कांग्रेस और रेल प्रशासन की 'नान पेमेंट मीटिंग' संपन्न,

शहडोल। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस (बिलासपुर मंडल) की इस वर्ष की द्वितीय 'नान पेमेंट मीटिंग' 23 जून को कार्मिक विभाग बिलासपुर के बैठक हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (बिलासपुर) डॉ.अंशुमन मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मंडल कार्मिक अधिकारी यू. एस. राव ने की। बैठक की पूरी व्यवस्था पीएनएम सेल के कार्यालय अधीक्षक रमना मूर्ति द्वारा संचाली गई।बैठक में रेल प्रशासन की ओर से सहायक कार्मिक अधिकारी भास्कर गुहा, सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सुमित्रा पाल और कार्मिक विभाग से संबंधित बिल क्लर्क मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मजदूर कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया एजेंडा

रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने रेल कर्मचारियों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। इस



प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल थे:लक्ष्मण राव (जोनल कार्यकारी अध्यक्ष),शुभम उपाध्याय (अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री),राना नंदी (डीओबी शाखा सचिव),इरफान खान (सहायक सचिव रनिंग प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व लिखित एजेंडे के आधार पर बिलासपुर मंडल के रेल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ी विभिन्न जटिल समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनका निराकरण करवाया।

बैठक में इन प्रमुख मामलों पर हुआ फैसला और समाधान

बैठक के दौरान कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें:गेट अलाउंस जारी: ब्रजराजनगर के जितेंद्र

कुमार और बैकुंठपुर के अरविंद कुमार का गेट अलाउंस (Gate Allowance) जारी करने का आदेश रेल प्रशासन द्वारा दिया गया।रिस्क अलाउंस की स्वीकृति: रायगढ़ के जुगताराम यादव को उनका बकाया रिस्क अलाउंस (Risk Allowance) दिए जाने पर सहमति बनी।ओवर पेमेंट व लीव एन्कैशमेंट पर चर्चा: विश्रामपुर के हियाहरन सिंह के ओवर पेमेंट मामले तथा उमरिया के अतुल कुमार गुप्ता के अवकाश नगरीकरण (Leave Encashment) केस पर गंभीरता से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकाला गया।ट्रैक मेटेनर्स को मिलेगा ओटी: अकलतरा के ट्रैक मेटेनर्स को ओवर टाइम (OT) दिए जाने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया गया।स्थानीय रेल कर्मियों की समस्याएं: इसके साथ ही अनुपपुर के रेल कर्मचारी आयुष, रविकांत राय, रंजीत कुमार, अमित कुमार और राजेंद्र राठौर की वेतन संबंधी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा कर प्रशासनिक अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए।संगठन का संकल्प: बैठक के अंत में मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन हर एक रेल कर्मचारी के हक की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ता रहेगा और उनके वित्तीय व सेवा संबंधी हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।

हरा दफाई की गली में गंदगी का अंबार, बजबजाती नालियां बनीं परेशानी का कारण, टूटे चेंबरों से हादसे का खतरा

नगर पालिका उपाध्यक्ष के वार्ड में बदहाली की तस्वीर, वर्षों से नहीं हुई नालियों की सफाई



धनपुरी। नगर पालिका धनपुरी के उपाध्यक्ष के वार्ड क्रमांक 17/15 में सफाई व्यवस्था की बदहाली ने नगर पालिका के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चित्र टेंट हाउस के बगल से हरा दफाई जाने वाली गली में गंदगी, बजबजाती नालियां, टूटे चेंबर और जर्जर सड़क से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। बरसात के मौसम में समस्या और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। वार्डवासियों का कहना है कि वर्षों से नालियों की समुचित सफाई नहीं हुई है। नालियों को ऊपर से ढक दिया गया है, लेकिन उनके अंदर जमा गंद और कचरा नहीं निकाला गया, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो गई है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और दुर्गंध के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है।

वार्डवासियों ने बयां किया दर्द वार्ड निवासी सुजीत, बब्लू, नवीन, हंसमुख और चंदन ने बताया कि गली में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। कई-कई सप्ताह तक नालियों और सड़कों की सफाई नहीं होती। बरसात के दौरान नालियां उफान पर आ जाती हैं और गंद पानी सड़क पर बहने लगता है। उन्होंने कहा कि कई बार नगर पालिका को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वार्डवासियों के अनुसार गली में कई स्थानों पर चेंबर टूटे हुए हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बच्चों और बुजुर्गों की विशेष परेशानी है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।



उपाध्यक्ष के वार्ड की स्थिति पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वार्ड नगर पालिका उपाध्यक्ष का वार्ड है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि यहां सफाई और विकास कार्य बेहतर होंगे, लेकिन स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। वार्डवासियों का कहना है कि जब उपाध्यक्ष के वार्ड में ही यह हाल है तो अन्य वार्डों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

पेवर ब्लॉक सड़क की मांग

सुजीत, बब्लू, नवीन, हंसमुख और चंदन सहित अन्य रहवासियों ने गली में पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात में सड़क कीचड़ और पानी से भर जाती है, जिससे



पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पेवर ब्लॉक लगने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

तत्काल कार्रवाई की मांग

वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि बरसात को देखते हुए तत्काल नालियों की सफाई कराई जाए, टूटे चेंबरों की मरम्मत की जाए और गली में पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कराया जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष के वार्ड से सामने आई यह तस्वीर शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों की हकीकत उजागर कर रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोगों की इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देते हैं।

गायत्री शक्ति जयंती महोत्सव महापर्व धूमधाम से मनाया

गायत्री शक्ति की जयंती बड़े धूम-धाम महोत्सव 24 जून 2026 दिन बुधवार को गंगा दशहरा के दिन मनाया गया। साथ मुख्य पुजारी लोगों के भोग लगाकर लोगों का प्रसाद देते हुए पांच 5 कुण्डीय यज्ञ लगभग 3 से 4 पारी,पाली हवन व पूर्णाहुति किया नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों आज गायत्री शक्तिपीठ में गंगा दशहरा के गायत्री शक्ति जयंती महोत्सव महापर्व बड़े धूम-धाम से मनाया साथ ही गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री परिवार व पुजारी जी ने भीड़ को सहजाल कर रखा था ।जो कल हुआ कार्यक्रम 23 जून 2026 दिन मंगलवार को विशाल ज्योति कलश यात्रा व शोभायात्रा बड़े धूम-धाम निकाली गई साथ नगर ध्रमण किया गया।

ब्योहारी। ब्योहारी में गायत्री परिवार ट्रस्ट के द्वारा बुधवार को गायत्री शक्ति जयंती महोत्सव महापर्व शक्तिपीठ में मनाया गया 23 जून दिन मंगलवार को विशाल ज्योति कलश यात्रा व शोभायात्रा निकाली गई गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होगी शाम 4 बजे वाया चुंगीनाका दुर्गा मंदिर , हनुमान मंदिर पुरानी मजिस्ट्रेटी बस स्टैंड दुर्गा मंदिर (महुलिन) लक्ष्मीनारायण मंदिर राम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए गायत्री मंदिर में जाकर कलश यात्रा



होगी कलश यात्रा माताओं बहनों व तरुण साथियों कम से कम 400 से 500 लोगों के लगभग सम्मिलित हो कर गायत्री माता, गुरुजी,माता जी, कि जय लगातें हुए पुष्य का भागीदार बनें। गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में आज विभिन्न कार्यक्रम किया गया 1 - जय साधना सुबह 6 बजे से 8 तक माताओं बहनों व तरुण साथियों 1 - 1 मानसिक साधना किया गया। 2 - सुबह 8 बजे से 5 पांच कुण्डीय गायत्री यज्ञ - पुष्कर संस्कार व विद्या संस्कार हुआ सुबह 7 बजे। 13 - महादीप यज्ञ - शाम 6 . 30 बजे प्रारम्भ हुआ रात्रि 8 बजे तक। 4 - महाप्रसाद वितरण - सुबह 10 बजे चालू किया गया और रात 10 बजे तक फल, पुड़ी, हलवा वितरण चला। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के महासमुंद से आने विद्वानों की टीम के द्वारा गायत्री शक्ति जयंती महोत्सव महापर्व पर विधिवत उनके मार्गदर्शक से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश



उमरिया। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्टर राखी सहाय व पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के मार्गदर्शन पर पाली पुलिस एसडीओपी शिवचरण बोहित व थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा की उपस्थिति में पाली थाना चौराहे पर नशा मुक्ति जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और गीत-संगीत के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। मंगलवार को कलाकारों ने अपने प्रभावशाली अभिनय के जरिए लोगों को संदेश दिया कि नशा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। नुक्कड़ नाटक में दिखाया जा रहा है कि नशे की लत कैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है।कलाकारों ने लोगों से अपील की कि वे नशे की आदत

छोड़कर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अभियान के दौरान कलाकारों द्वारा विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से नशे का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर-परिवार तथा नशे को ना, जीवन को ह्रां जैसे संदेश शामिल हैं।पुलिस एसडीओपी शिवचरण बोहित व थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि नशे की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। हम लोगों को अपने युवा शक्ति को बचाने के लिए खेलों के प्रति और रुचि बढ़ानी होगी, ताकि युवाओं को एक दिशा प्रदान कर सकें। नुक्कड़ नाटक का कुशल संचालन हिमांशु तिवारी के द्वारा किया गया।जन जागरूकता अभियान में सहायक उपनिरीक्षक रामस्वरूप संत, प्रधान आरक्षक अजय सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक महेश मिश्रा, कलाकार हिमांशु तिवारी, अभिनव द्विवेदी, राहुल सिंह,नेहा सिंह,दीप्ती सिंह,श्रद्धा सिंह,भक्ति सिंह,रुद्र प्रधान,शुभम पटेल,अतिव्य रजक,यशोद कोल,चारवी तिवारी,दिशा पाठक,मानवी सिंह,सानिया सिंह,पूर्वी तिवारी,खुरशी कोल,सत्यम सेन,श्रीराम तिवारी अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। शहर वासियों ने भी कलाकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया।



आजतक नहीं बदली टेऊनापानी गांव की तस्वीर...

आजादी के 79 साल बाद भी प्यासा पुष्पराजगढ़ का टेऊनापानी गांव

सड़क नहीं, शुद्ध पानी नहीं, विकास के दावों पर गांव को करारा तमाचा, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में युवाओं की नहीं हो रही शादी

कलेक्टर जनसुनवाई से कमिश्नर दरबार तक ग्रामीणों के लगाई थी गुहार

अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड की पड़रीखार पंचायत का टेऊनापानी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 250 लोगों की आबादी निवास करती है, लेकिन यहां न पीने के लिए शुद्ध पानी है और न ही गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क है जो सड़क गांव तक जाती है वह भी बरसाती नाले में बदल जाती है। आज भी बीमारों को कंधों पर ढोकर 4 किलोमीटर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, जबकि महिलाएं बच्चे बुर्जुग सभी जंगल की बरसाती नाले में झिरिया खोदकर पानी लाने को मजबूर हैं। विकास के तमाम दावों के बीच यह गांव शासन प्रशासन से अब जवाब मांग रहा है।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

एक ओर देश विकासित भारत की ओर बढ़ने के दावे कर रहा है। गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अनूपपुर जिले का टेऊनापानी गांव इन दावों की जमीनी हकीकत को आईना दिखाते हुए नजर आता है। पड़रीखार पंचायत का यह वार्ड क्रमांक 13 आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने कई बार अनूपपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी समस्याएं रखीं हैं, शहडोल संभाग के कमिश्नर तक गुहार लगाई है, लेकिन समाधान की जगह उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है कि काम जल्द ही हो जाएगा...। गांव में पक्की सड़क तक नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं और



बच्चों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक एवं पोषण सुविधाएं भी नहीं हैं। बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो विकास की रोशनी गांव की सीमा तक पहुंचते-पहुंचते कहीं खो गई हो और टेऊनापानी आज भी सरकारी योजनाओं के इंतजार में खड़ा होकर विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। टेऊनापानी की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की हकीकत है जो आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं। जब एक पूरे वार्ड की 250 आबादी को पीने का पानी जंगल की झिरिया से लाना पड़े, मरीजों को कंधों पर ढोना पड़े, बच्चों को शिक्षा और पोषण से वंचित रहना पड़े और युवाओं के विवाह तक प्रभावित होने लगें, तब यह केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं रह जाती, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन जाती है। टेऊनापानी आज सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि अपने हिस्से का वह अधिकार मांग रहा है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों का जमीर कब जागता है और इस गांव की तस्वीर बदलने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाते हैं।



दीनदयाल चौक से नर्मदा मंदिर मार्ग तक सड़क किनारे खड़े वाहनों से यातायात बाधित

बस और चारपहिया वाहन की टक्कर के बाद विवाद की स्थिति स्थानीय लोग बोले- नो पार्किंग बोर्ड नहीं, न जुर्माना, न ही नियमित यातायात व्यवस्था

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। तीर्थनगरी अमरकंटक के मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहनों की पार्किंग अब गंभीर यातायात समस्या का रूप ले चुकी है। दीनदयाल चौक से होकर नर्मदा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग सहित मुख्य बाजार क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। सड़कों के संकरे होने, होटल-लॉज-आश्रमों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने लगातार वाहनों के खड़े रहने तथा बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। बुधवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब नर्मदा मंदिर की ओर जा रही एक बस सड़क किनारे खड़े चारपहिया वाहन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस चालक और वाहन स्वामी के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। बाद में स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर सड़क खाली कराई, तब जाकर यातायात सुचारु हो सका। इस घटना ने एक बार फिर अमरकंटक के मुख्य मार्गों पर अव्यवस्थित पार्किंग और कमजोर यातायात प्रबंधन की समस्या को उजागर कर दिया है।

मुख्य बाजार और मंदिर मार्ग सबसे अधिक प्रभावित

स्थानीय लोगों के अनुसार दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, नर्मदा मंदिर मार्ग और आसपास के व्यस्त रास्तों पर दिनभर सड़क किनारे वाहन खड़े रहते हैं। इनमें निजी कारें, यात्री वाहन, होटल-लॉज में ठहरे पर्यटकों के वाहन और स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने खड़ी गाड़ियां शामिल हैं। कई स्थानों पर सड़क इतनी संकरी है कि यदि एक ओर वाहन खड़े हों और सामने से बस, ट्रक या अन्य बड़ा वाहन आ जाए तो तत्काल जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों का कहना है कि तीर्थस्थल होने के कारण अमरकंटक में हर दिन बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद यातायात व्यवस्था को लेकर न तो स्थायी योजना बनाई गई है और न ही पार्किंग नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू की गई है।

बस-कार टक्कर के बाद बढ़ा आक्रोश

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नर्मदा मंदिर की ओर से आ रही बस संकरे मार्ग से गुजर रही थी। सड़क के किनारे पहले से एक चारपहिया वाहन खड़ा था। इसी दौरान बस का वाहन से संपर्क हो गया और टक्कर की स्थिति बन गई। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने लगा। कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। लोगों का

अमरकंटक के मुख्य मार्गों पर बेतरतीब पार्किंग से लग रहा जाम, हादसों का बढ़ा खतरा



कहना है कि यदि समय रहते सड़क खाली नहीं कराई जाती, तो विवाद और बढ़ सकता था। साथ ही पीछे से आ रहे अन्य वाहनों के कारण जाम और गंभीर हो जाता।

शिकायतें होती रहीं, पर जिम्मेदारी तय नहीं

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मुख्य मार्गों पर जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को लेकर कई बार पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाली जाती है। पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था को नगर पंचायत का विषय बताता है, जबकि नगर पंचायत निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल देती है। इसका खामियाजा आम लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है।

नो पार्किंग बोर्ड नहीं, इसलिए मनमानी पार्किंग

शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले हिस्सों में कई स्थानों पर अब तक स्पष्ट नो पार्किंग बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। यही वजह है कि लोग सड़क किनारे मनमाने ढंग से वाहन खड़े कर देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रमुख स्थलों पर नो पार्किंग क्षेत्र चिह्नित किए जाएं, बोर्ड लगाए जाएं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाए, तो समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है। लोगों का यह भी कहना है कि कई होटल, लॉज, आश्रम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने लंबे समय तक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे सड़क की उपयोगी चौड़ाई और कम हो जाती है। इससे बाजार क्षेत्र में पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है।

वीआईपी मूवमेंट में ही दिखती है यातायात व्यवस्था

स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि अमरकंटक में सामान्य दिनों में यातायात व्यवस्था लगभग भगवान भरोसे रहती है। केवल वीआईपी मूवमेंट या किसी विशेष कार्यक्रम के दौरान ही पुलिस सक्रिय नजर आती है। बाकी समय मुख्य चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्र में

यातायात नियंत्रण की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं देती। इससे जाम की स्थिति बार-बार बनती है और छोटे-छोटे विवाद भी बढ़ने लगते हैं।

संकीर्ण मार्गों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर उठे सवाल

अमरकंटक के कई मुख्य मार्ग पहले से ही संकरे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र और मंदिर मार्गों पर बड़े वाहनों जैसे बस और ट्रक के प्रवेश को समयबद्ध या पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। उनका कहना है कि भारी वाहनों के प्रवेश के लिए वैकल्पिक मार्ग या निर्धारित समय तय किया जाना चाहिए, ताकि दिन के व्यस्त समय में जाम और दुर्घटना की आशंका कम हो।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

अमरकंटक के नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन से निम्न मांगें उठाई हैं दीनदयाल चौक से नर्मदा मंदिर मार्ग और मुख्य बाजार क्षेत्र में सख्त नो पार्किंग व्यवस्था लागू की जाए। सभी प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्र में नो पार्किंग बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए। होटल, लॉज, आश्रम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने होने वाली अनियमित पार्किंग पर विशेष निगरानी रखी जाए। संकरे और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण किया जाए। बाजार और मंदिर मार्गों पर नियमित यातायात पुलिस की तैनाती की जाए। अमरकंटक में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए अलग पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं।

व्यवस्था नहीं सुधरी तो बढ़ सकते हैं हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क किनारे पार्किंग और यातायात प्रबंधन की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरकंटक जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगी, ताकि श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को राहत मिल सके।

नगरीय निकाय के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से मिली राहत

स्थानांतरण आदेशों पर लगी रोक मिला स्थगन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। नगर पालिका परिषद कोतमा जिला अनूपपुर के कर्मचारियों ईश्वर दास, मनीष कुमार गर्ग एवं सैयद अनवर हुसैन को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध जारी स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन पर राहत प्रदान करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार राज्य शासन को है, इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए, जो विधि एवं नीति के विपरीत हैं। ईश्वर दास और मनीष कुमार गर्ग के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामलों को विचारणीय पाते हुए स्थानांतरण आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाई तथा शासन एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सैयद अनवर हुसैन के प्रकरण में अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि स्थानांतरण नीति के पैरा 13 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, याचिकाकर्ता वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ हैं, फिर भी उनका स्थानांतरण कर दिया गया जबकि उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की पदस्थापना नहीं की गयी है, यह स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के विपरीत है। इस संबंध में शासन पक्ष द्वारा न्यायालय को आवस्तुत किया गया। उक्त आदेशों से नगर पालिका परिषद कोतमा के कर्मचारियों को राहत मिली है तथा यह निर्णय स्थानांतरण नीति, अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति तथा प्रशासनिक नियमों के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



राजेन्द्रग्राम में भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारियां तेज

सांसद हिमाद्रि सिंह से मिला आयोजन समिति का प्रतिनिधिमंडल

हरिभूमि न्यूज राजेन्द्रग्राम। जिले के राजेन्द्रग्राम में आगामी 18 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को रथयात्रा आयोजन समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की सांसद हिमाद्रि सिंह से शिष्टाचार मेंट कर आयोजन की विस्तृत रूपरेखा से अवगत करायी तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं जनसहभागिता पर चर्चा की। आयोजन समिति ने सांसद को बताया कि भगवान जगन्नाथ की पावन रथयात्रा का शुभारंभ 18 जुलाई को दोपहर 3 बजे गायत्री मंदिर, राजेन्द्रग्राम से भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती की जाएगी। इसके उपरांत श्रद्धालुओं द्वारा हरिनाम संकीर्तन, भक्ति-भाव से ओतप्रोत नृत्य एवं जयघोष के बीच रथयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी और दुर्गा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर सांसद हिमाद्रि सिंह ने रथयात्रा में अपनी सहभागिता की सहमति प्रदान करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना एवं सामाजिक समरसता का अनुपम प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार सहित इस दिव्य आयोजन में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करें। बैठक में रथयात्रा को भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्यापक जनसहयोग और जनभागीदारी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। आयोजन समिति ने बताया कि रथयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकसूत्र में जोड़ने वाला सांस्कृतिक महोत्सव है। इस दौरान



रथयात्रा प्रमारी प्रेमावतार दास, पवित्र कृष्ण दास, श्रीमती गीता टंडिया, एच. परस्ते, प्रिंस जायसवाल सहित अनेक श्रद्धालु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। सभी ने रथयात्रा के सफल आयोजन हेतु क्षेत्रवासियों से बड़-चढ़कर सहभागिता निमामने की अपील की। आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर हरिनाम संकीर्तन में सहभागी बनें, भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन एवं महाप्रसाद का लाभ प्राप्त करें तथा इस आध्यात्मिक महोत्सव को ऐतिहासिक सफलता प्रदान करें।

रेलवे मजदूर कांग्रेस की द्वितीय नान पेमेंट मीटिंग सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। एकल मान्यता प्राप्त रेल संगठन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस की इस वर्ष की द्वितीय नान पेमेंट मीटिंग 23 जून को कार्मिक विभाग बिलासपुर बैडक हाल में सम्पन्न हुई, यह बैठक वरीष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी बिलासपुर डॉ. अंशुमन मिश्रा के निर्देश के तहत मंडल कार्मिक अधिकारी बिलासपुर युस्स राव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में सहायक कार्मिक अधिकारी बिलासपुर भास्कर गुप्ता, सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सुमित्रा पाल, कार्मिक विभाग सम्बंधित बिल कर्तक मौजूद रहे, बैठक व्यवस्था पीपनएस सेल के कार्यालय अधीक्षक रमना मूर्ति ने किया। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के मंडल सम्भव्यक विजय अहिमहोत्री के नेतृत्व में मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव, अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री शुभम उपाध्याय, डीओबी शाखा सचिव राना नंदी, सहायक सचिव रंजित इरफान खान ने बिलासपुर मंडल के रेल कर्मचारियों के वेतन संबंधित समस्याओं पर वृष्ट लिखित एजेंडा पर चर्चा कर रेल कर्मचारों की समस्याओं का निराकरण किया। बजरानजगर जितेंद्र कुमार, बैकुंठपुर अरविंद कुमार के गेट एलाउंस जारी करने का आदेश हुआ, विश्रामपुर के हियाहरन सिंह के ओवर पेमेंट पर चर्चा, रायगढ़ के जुगताराम यादव का रिस्क एलाउंस मिलेगा, अनूपपुर के आयुष, रविकांत राय, रंजीत कुमार, अमित कुमार, राजेंद्र राठौर के समस्याओं पर चर्चा हुई, अकलतरा के ट्रेड मेटेकर को ओटी दिए जाने, उमरिया के अतुल कुमार गुप्ता अवकाश नगरीकरण केश पर चर्चा हुई।

बीमार पड़ता है तो परिवजनों को कंधों के सहारे मरीज को मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि कई गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल पहुंचाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में रास्ते में ही प्रसव होने की नौबत आ गई है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाओं से दूरी यहां के लोगों के लिए हर दिन एक नई चुनौती बनकर खड़ी रहती है। अब इस गांव के ग्रामीण भगवान भरोसे ही जिंदगी जीने मिल मजबूर है।

सड़क और पानी के अभाव में युवाओं की नहीं हो रही शादी

गांव की बदहाल स्थिति का असर अब सामाजिक जीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क और स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं होने के कारण रिश्ते लेकर आने वाले परिवार अपनी बेटियों का विवाह यहां करने से इंकार कर देते हैं। नतीजा यह है कि गांव के लगभग 50 युवक विवाह योग्य आयु पार कर चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। विकास की कमी अब केवल सुविधाओं का संकट नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक पीड़ा का कारण भी बन चुकी है। युवाओं के सपने अधूरे रह रहे हैं और वे खुद को व्यवस्था से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

सुविधाओं की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का भी मलाल है कि उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय नेता और जन प्रतिनिधि गांव में पहुंचते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कई बार शिकायतों और मांगों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीण पृष्ठते हैं कि आखिर उनके हिस्से का विकास कब आएगा? क्या उन्हें केवल वोट देने तक ही सीमित समझ लिया गया है? यह सवाल आज पूरे गांव की जुबान पर है।

लोग निवास करते हैं।इसके बावजूद वर्षों से यहां सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। लोकतंत्र में वार्ड स्तर तक विकास पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन टेऊनापानी के लोगों को आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अधिकारी भी शायद ही कभी गांव का दौरा करते हैं और जनप्रतिनिधियों के दर्शन सिर्फ चुनाव में समय ही होते हैं।इससे लोगों में उपेक्षा और निराशा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है।

चुनाव में वादे, फिर पांच साल की खामोशी

ग्रामीणों की पीड़ा केवल



ग्राम पंचायत अमगवां में स्थायी निरंतर लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के प्रधान जल्ला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती माया विश्वलाल के आदेशानुसार ग्राम पंचायत अमगवां में स्थायी निरंतर लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायत अमगवां में स्थायी निरंतर लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामिणजनों को जिला विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का त्वरित एवं सरल समाधान किया जा सकता है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता अधिकारी बुधेश पटेल के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की उपयोगिता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मित्रिन्व योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में श्री पटेल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सह